

09 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. जितेन्द्र पुत्र लक्ष्मण राजभर, 2. रामबदन पुत्र लगन, 3. लिरखू पुत्र शिवबरन, 4. शांती पत्नी बिहारी, 5. मंजू पत्नी गुड्डू, 6. चन्द्रावती पत्नी हीरा निवासीगण खजुरहट कसारा, 7. अक्षयबर पुत्र किशुन चौहान निवासी सा0 भरथिया कादीपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ, तथा थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मो0 शाहिद पुत्र इनामुद्दीन निवासी खेदुपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ व थाना मुहम्मदाबाद द्वारा वारंटी अभियुक्त समीम पुत्र मुख्तार निवासी मड़हा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद नाजायज देशी तंमचा 303 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 303 बोर बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 07.12.2025 को देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ब्रह्मस्थान सहादतपुरा शेल्टर होम के बगल से दक्षिण की तरफ जाने वाले गली मार्ग से मु0अ0स0 421/25 धारा 305,331(4),317(2)बीएनएस थाना कोतवाली नगर मे वांछित अभियुक्त शमशाद अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी बुनकर कॉलोनी थाना सराय लखंसी जनपद के कब्जे से 01 अदद नाजायज देशी तंमचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शमशाद अहमद पुत्र निसार अहमद निवासी बुनकर कॉलोनी थाना सराय लखंसी
जनपद मऊ उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 421/25 धारा 305,331(4),317(2)बीएनएस थाना कोतवाली नगर
जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 428/25 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
बरामदगी-

1. 01 अदद नाजायज देशी तंमचा 303 बोर
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस 303 बोर

गिरफ्तारी टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ0नि0 विवेक राव चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार दूबे थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. हे0का0 काशीनाथ यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. का0 अनिरुद्ध वर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. का0 रवि कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

01 वांछित अभियुक्त तथा 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 07.12.2025 को देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन के डाक पार्सल आफिस के बगल रोड के किनारे से मु0अ0सं0 394/2025 धारा 3(5)/109/115(2)/125/351(2)/352 BNS थाना कोतवाली नगर

मऊ संबंधित वांछित अभियुक्त जुगनु पुत्र रसीद निवासी मुंशीपुरा ओवर ब्रिज के नीचे थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ हालपता बेलाल मस्जिद मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ तथा महुआवारी ख्वाजाजहांपुर के पास मु0अ0सं0 393/2025 धारा 108 BNS थाना कोतवाली नगर मऊ में वांछित अभियुक्ता वन्दना राजभर पत्नी अशोक राजभर निवासिनी महुआवारी ख्वाजाजहांपुर थाना कोतवाली नगर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. जुगनु पुत्र रसीद निवासी मुंशीपुरा ओवर ब्रिज के नीचे थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ हालपता बेलाल मस्जिद मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 394/25 धारा 394/2025 धारा 3(5)/109/115(2)/125/351(2)/352 BNS थाना कोतवाली नगर मऊ
2. मु0अ0सं0 136/19 धारा 323, 504, 506 भादवि0 थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

1. वन्दना राजभर पत्नी अशोक राजभर निवासिनी महुआवारी ख्वाजाजहांपुर थाना कोतवाली नगर मऊ

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस द्वारा दिनांक 07.12.2025 को देखभाल क्षेत्र/ चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के घर के पास से मु0अ0सं0 585/2025 धारा 2(b)(1), 3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि० में वांछित अभियुक्त मो0 सलमान उर्फ

सलमान पुत्र नजमुद्दीन निवासी बनगांवा थाना घोसी जनपद मऊ गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मो० सलमान उर्फ सलमान पुत्र नजमुद्दीन निवासी बनगांवा थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं०-567/23, धारा- 457/380/411 भा०द०वि०, थानाघोसी, जनपद- मऊ
2. मु०अ०सं०-210/2024, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट, थाना- घोसी, जनपद-मऊ
3. मु०अ०सं० 370/2025 धारा 305ए, 317 (2) बीएनएस थाना घोसी जनपद मऊ
4. मु०अ०सं०-371/2025 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ०नि० लाल मोहन थाना घोसी जनपद मऊ।
2. का० शैलेश कुमार थाना घोसी जनपद मऊ।
3. का० दिग्विजय थाना घोसी जनपद मऊ।

दहेज हत्या में वांछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना घोसी पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 581/2025 धारा 85, 80(2) बी.एन.एस. व 3/4 डीपी एक्ट वादिनी श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नी लल्लक राजभर निवासी कुरुरहां पो० हजौली जनपद बलिया द्वारा अपनी पुत्री आरती राजभर को उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिये प्रताडित करने तथा दहेज का सामान समय से न देने पर दिनांक 29.11.2025 को मार पीट कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था। मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. मनोज राजभर पुत्र राममिलन निवासी

ग्राम पकडी मठिया थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष 2. राधिका पत्नी राममिलन निवासी पकडी मठिया उम्र 48 वर्ष को उनके घर से आज दिनांक 07.12.2025 गिरफ्तार किया गया तथा चालान न्यायलय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुतक्तगण-

1. मनोज राजभर पुत्र राममिलन निवासी ग्राम पकडी मठिया थाना घोसी जनपद मऊ
2. राधिका पत्नी राममिलन निवासी पकडी मठिया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

4. उ०नि० सूरज सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।
5. उ०नि० दिवाकर राना थाना घोसी जनपद मऊ।
6. म०उ०नि० रिचा सोनी थाना घोसी जनपद मऊ
7. म०का० आरती सरोज थाना घोसी जनपद मऊ।
8. का० डब्लू सिंह थाना घोसी जनपद मऊ।

महिलाओं व बालिकाओं पर अश्लील फब्तियां व गंदे इशारे कर रहे युवक को एंटी रोमियो टीम ने किया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ, श्री इलामारन जी के द्वारा जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही मिशन शक्ति 5.0 में उपद्रवियों, अराजक तत्वों और मनचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया गया है। उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल निर्देशन में दिनांक 07.12.2025 को प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ व कोतवाली नगर एंटी रोमियो पुलिस टीम म०उ०नि० सपना मय म०का० प्रीति सरोज व म०का० सुषमा पटेल के देखभाल क्षेत्र एवं चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/ वस्तु/ वाहन चैकिंग, H.S, चैकिंग एंटी रोमियो व मिशन शक्ति फैज में मामूर थी कि जरिये मुखबिर खास ने सूचना दिया कि एक व्यक्ति ठेकुलिया घाट के पास आने जाने वाली महिलाओं व

लड़कियों अश्लील इशारे व फब्तियाँ कस रहा है। मुखबिर खास की इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा ठेकुलिया घाट से फरहान पुत्र इम्तेयाज अहमद निवासी खेदूपुरा भटकुँआ सिंहाराय थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष को समय करीब 14.20 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 429/2025 धारा 296 BNS में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

फरहान पुत्र इम्तेयाज अहमद निवासी खेदूपुरा भटकुँआ सिंहाराय थाना दक्षिण टोला
जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

0. मु0अ0सं0 429/2025 धारा 296 BNS थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. म0उ0नि0 सपना थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. म0का0 प्रीती सरोज
4. म0का0 सुषमा पटेल